

राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2013

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

I- श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

पंचायती राज विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/2649 दिनांक 17.12..2012, अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/ 2012/107 दिनांक 29.1..2013, अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एमे/ रूल्स/लीगल/पीआर/2012/135 दिनांक 11.2..2013, एवं अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/136 दिनांक 11.2.2013, जिनके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में कतिपय संशोधन किये गये हैं; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)नोटिफिकेशन/लीगल/पीआर/2012/114 दिनांक 1.2..2013 जिसके द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु कार्यानुभव के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती में बोनस अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी।

II- श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, गृह राज्यमंत्री, यातायात एवं गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) यातायात विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.6(59)/परि/कर/मु/05 दिनांक 12.10..2012, जिसके द्वारा राजस्थान महिला कल्याण मण्डल संस्था, विश्वामित्र आश्रम, ग्राम चाचियावास, जिला-अजमेर के बोलेरो वाहन को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बहु-विकलांग एवं मानसिक विकलांग बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण आदि समाज हितकारी कार्यो हेतु कर में छूट दी गई है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(229)/परि/कर/मु/11 दिनांक 5.12..2012, जिसके द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, मालवीय नगर, जयपुर के ट्रैक्स क्रूजर वाहन को विकलांग व्यक्तियों को आर्टिफिशियल लिम्ब सैन्टर पर लाने-जाने हेतु कर में छूट दी गई है; एवं

- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.6(138)/परि/कर/मु/10 दिनांक 5.12..2012, जिसके द्वारा रावतभाटा हैल्थ सर्वे एण्ड हैल्थ रजिस्ट्री, चित्तौड़गढ़ को टाटा मैमोरियल हॉस्पिटल एण्ड एडवांस्ड सेन्टर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्चज एण्ड एज्युकेशन इन कैंसर, मुम्बई द्वारा हस्तान्तरित मोबाईल स्क्रीनिंग वैन संख्या-एमएच-06-जे-3854 को कैंसर रोगियों के उपचार एवं राज्य में कैंसर रोग से बचाव संबंधी प्रचार-प्रसार के प्रयोजनार्थ कर में छूट प्रदान की गई है ।

(2) गृह विभाग

अधिसूचना संख्या:एफ.11(29)गृह-10/2011 दिनांक 24.1.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विशेष न्यायालय नियम, 2013 विरचित किये गये हैं ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

II- डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, जल विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

III- डॉ० दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई, 2005 से जून, 2006, जुलाई, 2006 से जून, 2007, वर्ष 2007-2008 तथा वर्ष 2010-2011; एवं
- 2- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 एवं 2010-2011.

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख", 2012-2013 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति, "ख", 2012-2013 का 23वां प्रतिवेदन ;
- 2- कृषि विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति, "ख", 2012-2013 का 24वां प्रतिवेदन ; एवं
- 3- श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति, "ख", 2012-2013 का 25वां प्रतिवेदन।

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रत्तर वाद-विवाद

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (वि.सं.-54), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 फरवरी, 2013